PARMAR SSC

SSC GK

PARMAR'S GK BATCH

TOPIC

Parliamentary Committee & Emergency

Lecture :- 10

For Notes Join Telegram :

Click on the icon.

OR Scan

For Lectures Subscribe Our Parmar SSC Youtube Channel

Click on the icon.

OR Scan

$\frac{1}{6}$ सदस्य – राज्यपाल द्वारा मनोनीत
(साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा, सहकारी संस्था)

1- एंग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा..
↳ 104th संविधान संशोधन द्वारा खत्म
↳ SC/ST का आरक्षण बढाया गया।

- योग्यता : विधानसभा - 25 साल
  विधानपरिषद - 30 साल
- शपथ : राज्यपाल
- त्यागपत्र : पीठासीन अधिकारी
- सत्रावसान / विघटन → राज्यपाल
- साधारण बिल : ~~लोकसभा~~ विधान → राज्यपाल

~~लोकसभा~~

संसदीय समिति

- स्थायी समिति
  - वित्तीय समिति
    - सार्वजनिक लेखा समिति
    - प्राक्कलन समिति
    - लोक लेखा समिति
- तदर्थ समिति

समानतायें - इनका सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है।
→ कार्यकाल = 1 वर्ष
→ चुनाव - आनुपातिक प्रतिनिधित्व + एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा
→ सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या अध्यक्ष/स्पीकर द्वारा मनोनीत।

PARMAR SSC

→ स्पीकर / अध्यक्ष के निर्देश मे काम करना।

असमानतायें:

सार्वजनिक लेखा समिति:

स्थापित/गठन - भारत शासन अधिनियम 1919, 1921

सदस्य = 30
- लोकसभा 15
- RS 7

काम = नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किये गये लेखा-परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनो की जाँच करना।

प्राक्कलन समिति:

जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर गठन

गठन - 1950

सदस्य = 30 सभी लोकसभा से
(25, 1956 से 30)

कार्य = बजट मे शामिल अनुमान (estimates) की जांच करना।

लोक लेखा समिति:

गठन - 1964, कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर

सदस्य = 22
- 15 LS
- 7 RS

15 सदस्य —(1974)→ 22 सदस्य

अध्यक्ष = केवल लोकसभा से

कार्य - जनता की रिपोर्ट और खाते की जांच करना।

विभाग संबंधी स्थायी समिति:

24 समिति
- 16 - LS
- 8 - RS

सदस्य = 31
- 21 LS
- 10 RS

PARMAR SSC

निजी सदस्यो के विधेयको और संकल्पो पर समिति:

अध्यक्ष = लोकसभा का उपाध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष
- व्यापार सलाहकार समिति
- नियम समिति
- सामान्य प्रयोजन समिति

राजभाषा पर संसदीय समिति = 1976 मे गठित
30 सदस्य
20 लोकसभा 10 राज्यसभा

संवैधानिक संशोधन

संशोधन - भाग 20
↳ अनु० 368 , दक्षिण अफ्रीका से लिया गया।

→ संसद, संविधान के मूल ढाँचे के अलावा कुछ भी संशोधित कर सकती है। (केशवा भारती मामला 1973)

प्रक्रिया / Procedure:

- संविधान संशोधन बिल को संसद के किसी भी सदन मे लाया जा सकता है लेकिन राज्य विधानमण्डल मे नही।
- इसे या तो मंत्री या प्राइवेट सदस्य कोई भी ला सकता है।
- इसको लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नही है।
- बिल विशेष बहुमत से पास होना चाहिए।
- कोई भी संयुक्त बैठक नही होती।
- राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होगी। कोई वीटो शक्ति उपयोग नही कर सकता। (24 वां संविधान संशोधन)

PARMAR SSC

के. सी. व्हीयर - "भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है।"

न ही USA जितना कठोर, न ही UK जितना लचीला।

संशोधन (368)
तीन प्रकार से

- साधारण बहुमत
- विशेष बहुमत
- विशेष बहुमत + राज्य की सहमति (GST बिल)

विशेष बहुमत :

- मौलिक अधिकार
- DPSP (नीति निर्देशक तत्व)

विशेष बहुमत + कम-से-कम आधे राज्यों की सहमति :

- राष्ट्रपति का चुनाव एवं प्रक्रिया
- सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
- SC/HC से संबंधित
- विधायी शक्तियों का वितरण
- अनुच्छेद 368

→ पहला संविधान संशोधन 1951 → 9 वीं अनुसूची
'कुछ राज्यों में कृषि सुधारों से संबंधित'

→ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस संशोधन को मंजूरी दी - 100 वां सं० संशोधन

→ गोवा को राज्य का दर्जा - 56 वां संवि. संशोधन
UT का दर्जा - 12 वां संवि. संशोधन

PARMAR SSC

→ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन - 2005

→ किस संशोधन द्वारा संघ सूची में 'सेवाओं पर कर' नामक एक नया विषय जोड़ा गया - 88वाँ

→ मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष - 61 वां संवि. संशोधन 1989

→ भारत का लघु संविधान - 42 वां संवि. संशोधन 1976

" आपात उपबंध "

भाग - 18

अनुच्छेद : 352 - 360 'भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया'

आपात

राष्ट्रीय आपात	राज्य आपात राष्ट्रपति शासन	वित्तीय आपात
अनु० - 352	अनु० 356	अनु० 360
युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह	राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना	भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा

↓

घोषणा - राष्ट्रपति
(कैबिनेट की मंजूरी)
(44 वां संविधान संशोधन)

मंजूरी = 1 महिना का विशेष बहुमत से

LS RS

मंजूरी मिलने पर 6 महिने तक लागू

पुनः मंजूरी - 44 वां संविधान संशोधन

हटाना → राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम समय = अनिश्चित

→ लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता।

PARMAR SSC

प्रभाव: मौलिक अधिकारो पर: (जर्मनी के संविधान से)

अनु० 358 → अनु० 19 के तहत 6 अधिकार समाप्त

अनु० 359 → अनु 19 के अलावा कोई मौलिक अधिकार को निलंबित करना है।

→ अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नही किये जा सकते है।

→ सशस्त्र विद्रोह के समय अनु० 19 को निलंबित नही किया जा सकता।

◉ आंतरिक विद्रोह ——(44 वां संविधान संशोधन)——→ सशस्त्र विद्रोह

→ कार्यकारिणी (Executive) → केन्द्र किसी भी मामले पर राज्य को निर्देश (direction) दे सकता है।

→ विधायिका (Legislative) → संसद किसी भी विषय और राज्य सूची पर कानून बना सकती है। (6 महीने तक अधिकतम)

मिनर्वा मिल्स मामला → राष्ट्रीय आपातकाल लगाना न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

राष्ट्रीय आपात → 3 बार { 1962, 1971, 1975

अनुच्छेद 355: राज्यो मे आंतरिक गड़बडी रोकने और शांति स्थापित करना केंन्द्र सरकार का दायित्व है।

अनुच्छेद 356: राष्ट्रपति शासन

संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर

PARMAR SSC

- आधार { 356 - संवैधानिक तंत्र का विफल होना
  365 - जब राज्य, केन्द्र द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन न करे।
- घोषणा- राष्ट्रपति
- मंजूरी- संसद (within 2 months)
  - साधारण बहुमत से
  मंजूरी मिलने पर 6 महीनो तक।
  अधिकतम समय = 3 वर्ष
- हटाना- राष्ट्रपति द्वारा कभी भी।
  संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नही।
- प्रभाव- मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नही।
  मंत्रिपरिषद (coms) को बरखास्त कर दिया जाता।
  राज्यविधानसभा को निलंबित कर दिया जाता।
  SR बोम्बई मामला संबंधित
- पहली बार राष्ट्रपति शासन- पंजाब (1951)
  - अधिकतम बार- मणिपुर (10 बार)
    UP (9 बार)

PARMAR SSC